न्यायालय सहायक कलक्टर (शहर) ,बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– यक्ष चौधरी (प्रशिक्षु आईएएस)
राजस्व वाद संख्या:–
आर.सी.एम.एस. नं.:– 2023 / 125

1 शांतिदेवी पत्नी सीताराम जाति जाट निवासी रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर।

–वादीया–

–बनाम–

1 भंवरी देवी पत्नी स्व. केशूराम जाति जाट निवासी रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर।
2 लिखमा देवी पत्नी हरिकिशन जाति जाट निवासी रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर।
3 मनोहरी देवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर।
4 रामप्यारी देवी पत्नी मंगलाराम जाति जाट निवासी रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर।
5 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर।

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 53
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अभिभाषक उपस्थितिः–
1 श्री सत्यनारायण तिवाड़ी (वादीनी की ओर से)
2 श्री जीवणराम सुथार (प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से)

–:निर्णयः– दिनांकः– 02/08/2023

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीनी व प्रतिवादीगण 1 ता 4 की एक सयुक्त खातेदारी कृषि भूमि तादादी 3.79 हैक्टयर वाके रोही मोजा उदासर पटवार हल्का उदासर तहसील व जिला बीकानेर के खसरा नम्बर 333 में स्थित है जो कि वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि में वादीनी व प्रतिवादी स 1 ता 4 प्रत्येक का 1/5–1/5 हक व हिस्सा निहित है जिस पर रेकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। वादीया उपरोक्त खसराजात की भूमि के उत्तरी दिशा पर कब्जे काश्त में चली आ रही है जिसे नजरीये अक्श में बरंग लाल से दिखाया है। स्टेट को लैण्ड होल्डर होने के कारण बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। रोही मोजा उदासर पटवार हल्का उदासर तहसील व जिला बीकानेर के खसरा नं 333 तादादी 3.79 हैक्टयर कृषि भूमि जो कि प्रतिवादीगण के साथ सयुक्त [illegible] सलग्न नजरीये अक्शानुसार [illegible] डिक्री सादर फरमा किया जाकर खाता विभाजन [illegible] जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 20.07.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिए अधिवक्ता जीवणराम सुथार द्वारा वकालतनामा मय जवाबदावा काउण्टर क्लेम पेश किया गया। जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम में कथन किया कि वादीया द्वारा प्रस्तुत दावा डिक्री किया जाता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2023.11.09 12:33:59 IST
Reason: SelfAttested

तो प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है। इसके साथ ही वकील वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर आपसी सहमति से प्रस्तावित नक्शा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि संलग्न अक्श के अनुसार खाता विभाजन की डिग्री जरिए काउण्टर क्लेम प्रदान किए जाने के आदेश प्रदान करे।

3. हमने वाद पत्र व वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित। वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शा पर उभयपक्ष को सुना गया। जिसे पक्षकारान को सुनाया व समझाया गया जिस पर उन्होंने सहमति प्रदान की कि वादीया द्वारा प्रस्तुत दावा डिग्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है। वकील वादी का कथन है कि प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम से कोई तनकियात कायम नहीं होगी क्योंकि उन्होंने वादी के क्लेम को स्वीकार करते हुए अपना हिस्सा मांगा है तथा वादी के वकील ने उनका हिस्सा उनको प्रदान करने में सहमति प्रदत्त की है। प्रतिवादी सं. 5 स्टेट लैण्ड होल्डर के कारण वादी द्वारा उनसे कोई रिलीफ नहीं चाही गयी है। वादीया द्वारा कृषि भूमि ख.न. 333 तादादी 3.79 हैक्टयर कृषि भूमि जो कि प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त खाते में दर्ज है, में अपने हिस्से 1/5 का संलग्न अक्शानुसार विभाजन चाहा गया है। वकील वादी द्वारा भी सहमति प्रदत्त की गई जिससे किसी प्रकार की तनकियात कायम की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी/वादी द्वारा सहमति से प्रस्तावित अक्श प्रस्तुत कर विभाजन चाहा गया है।

4. उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीनी स्वीकार किया जाकर ग्राम रोही मौजा उदासर पटवार हल्का उदासर तहसील व जिला बीकानेर के खसरा नं 333 कुल तादादी 3.79 है. कृषि भूमि में वादीनी व प्रतिवादीगण सं 1 ता 4 प्रत्येक का रिकोर्डेड 1/5–1/5 हिस्सा का खाता विभाजन किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। तदनुसार संलग्न अक्शानुसार खाता विभाजन की अंतिम डिग्री दी जानी मंजूर की जाती है। संलग्न नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय, अंतिम डिक्री मय नक्शा की प्रमाणित प्रति तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निर्णय व डिक्री की पालना 07 दिवस में कराया जाना सुनिश्चित करे एवं तदनुसार लगान अलग–अलग कायम किया जाकर प्रत्येक के हक का खाता व नक्शा अलग कायम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 02/08/23 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया व इस न्यायालय की मोहर व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2023.11.09 12:33:59 IST
Reason: SelfAttested

(यक्ष चौधरी)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत......... सहायक कलक्टर ....मुकाम..........बीकानेर

बइजलास : यक्ष चौधरी , आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)

शांतिदेवी — : बनाम : — भंवरी देवी वगैरह

राजस्व वाद संख्याः— /

आर.सी.एम.एस. नं.:—2023 / 125

दावा अन्तर्गत धाराः— **53, आर.टी.एक्ट**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सत्यनारायण तिवाडी अभिभाषक मिनजानिब मुदई व श्री जीवणराम सुथार मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व अभिभाषक ब्रीफ होल्डर श्री राजपैरोकार मिनजानिब मुदई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर खाता विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार दी जानी मंजूर की जाती है—

क्र.सं	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा (हैक्टयर में)	प्रस्तावित खसरा नं0	रंग प्रस्तावित नक्शानुसार
01	शांति देवी पत्नी सीताराम भाम्बू	333	0.758	333 / 1	लाल
	कुल	01	0.758		
02	भंवरी देवी पत्नी स्व. केशुराम	333	0.758	333 / 2	हरा
	कुल	01	0.758		
03	रूखमा देवी पत्नी हरिकिशन	333	0.758	333 / 3	पीला
	कुल	01	0.758		
04	मनोहरी देवी पत्नी रामेश्वरलाल	333	0.758	333 / 4	भूरा
	कुल	01	0.758		
05	रामप्यारी देवी पत्नी मंगलाराम	333	0.758	333 / 5.	केशरिया
	कुल	01	0.758		

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के मध्य खाता तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को आदेशित किया जाता है कि विभाजन किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल—दरामद किया जावे। संलग्न नक्शा, निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय व डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को प्रेषित की जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जाता है।

फीस सदी नीज ....मुबलिक ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... जुर्माना आज की तारीख से वसूल यानी तक ....-......... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 2/8/23 को डिक्री जारी की गई।

सहायक कलक्टर, बीकानेर शहर

दस्तखत..........

सहायक कलक्टर

ओहदा..........

बीकानेर शहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2023.11.09 12:33:59 IST
Reason: SelfAttested

मुदई			मुदायला	रुपया	न.पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन को चाहे गिरी के जरिये दिलाया गया हो नही दर्ज किया